फर्द अहकाम

रमेश बनाम गंगाराम

170/2011

[illegible]क आज्ञा या [illegible]ार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
24/7/14	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उप० बहस अन्तिम पूर्व में सुनी जा चुकी है अदस्त वकील वादी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर पक्षों की ओर से पेश वाद वादी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया पत्रावली बाद पूर्ति शुमार होकर 15 दि० में जमा हो अफसरान दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 170/2011
निर्णय दिनांक : 24.07.2024

1. रमेश चन्द डूकया पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल जाति निवासी– प्लाट नम्बर 278 मालपुरा रोड, सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र सेडूभंवरलाल पुत्र रामचन्द्र
2.
3. मु0 श्रवणी देवी बेवा रामचन्द्र
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर। प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार हक
निर्णय

वादी की ओर से पेश वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी, कब्जे एवं उपयोग–उपभोग की भूमि हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से रकबा 0.0337 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 330 रकबा 01 बीघा 06 बीस्वा ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि का काबिज खातेदार होकर उपयोग व उपभोग निरन्तर बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से भूमि रकबा 0.0680 हैक्टेयर (845 वर्गगज) जिसके साबिक खसरा नम्बर 330 रकबा 01 बीघा 06 बीस्वा को भूमि के हकपूर्वाधिकारी खातेदार गंगाराम व रामचन्द्र पुत्रान् सेडू जाति माली निवासी– सांगानेर, जिला जयपुर ने दिनांक 22.08.1983 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से श्याम स्वरूप शर्मा पुत्र श्री मन्नालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी– सांगानेर, जिला जयपुर को विक्रय कर खातेदारी हक एवं कब्जा प्रदान किया। श्याम स्वरूप शर्मा पुत्र श्री मन्नालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी– मालपुरा रोड, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ने वादपत्र के पैरा संख्या दो में वर्णित क्रयशुदा भूमि 0.0680 हैक्टेयर में से उत्तरी दिशा का 1/2 भाग जिसकी माप पूर्व से पश्चिम उत्तरी साईड़ 90 फीट, पूर्व से पश्चिम 91.5 वर्गफीट व उत्तर से दक्षिण 40 फीट कुल क्षेत्रफल 403.33 वर्गगज अर्थात 0.0337 हैक्टेयर जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 03.12. 1994 को क्रेता श्रीमती विमला पत्नि रमेशचन्द्र शर्मा निवासी नागमणी कालोनी के सामने, मालपुरा रोड, सांगानेर, जिला जयपुर को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। वादी ने श्रीमती विमला के पत्नि रमेशचन्द्र शर्मा निवासी नागमणी कालोनी के सामने, मालपुरा रोड, सांगानेर, जिला जयपुर से वादपत्र के पैरा संख्या तीन में वर्णित भूमि को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 26.12.1998 के माध्यम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

य कर खातेदारी हक एवं कब्जा प्राप्त किया। वादी ने वादपत्र के पैरा संख्या चार वर्णित वादग्रस्त भूमि को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 26.12.1998 के माध्यम से क्रय र कब्जा प्राप्त करने के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने हेतु हल्का पटवारी से म्पर्क किया तो उन्होने बताया कि विक्रेता के नाम नामान्तकरण नहीं खुला है। उक्त भूमि पूर्व खातेदारान् गंगाराम व रामचन्द्र के नाम हीं अंकित है तथा खातेदार रामचन्द्र पुत्र सेडू का देहान्त हो गया और उसके स्थान पर उसके वारिसान् भंवरलाल व मु० श्रवणी देवी के नाम खातेदारी अंकित है। ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वादपत्र के पैरा संख्या चार में वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी गंगाराम व रामचन्द्र पुत्र सेडू से वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.08.1983 के माध्यम से श्याम स्वरूप शर्मा तत्पश्चात् श्याम स्वरूप द्वारा भूमि का पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 03.12.1994 के माध्यम से विमला देवी एवं विमला देवी से वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 26.12.1998 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। और इस विक्रयपत्र के बाद विक्रेतागण खातेदारान् के हित व अधिकार इस भूमि के सम्बन्ध में समाप्त हो चुके है, इसके बावजूद भी पूर्व खातेदार रामचन्द्र पुत्र सेडू का देहान्त हो जाने पर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या दो व तीन के हक में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का अंकन कर दिया गया जो कि वादी के हकपूर्वाधिकारी के अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। दिनांक 02.11.2011 को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन के नाम हुए अवैध इन्द्राजात को तहसील में चलकर दुरूस्त करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादीगण से अनुरोध किया तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया। इसलिये वादी को अपने हित एवं अधिकार घोषित करवाना आवश्यक हो गया और प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन के नाम हुए अवैध इन्द्राजात को विलोपित करवाना आवश्यक हो गया। इसलिये वाद बाबत् घोषणा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादी अधिकारी है कि घोषणा इस आशय की कि जावे कि विक्रयपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 330 के हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से भूमि रकबा 0.0337 हैक्टेयर का वादी काबिज खातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.11 हैक्टेयर में भूमि रकबा 0.0337 हैक्टेयर के प्रतिवादीगण के नाम हो रहे अवैध इन्द्राजात को प्रभावशून्य घोषित करवाकर विलोपित करवाने का अधिकारी है। वाद का कारण दिनांक 02.11. 2011 को प्रतिवादीगण द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज वादी के नाम करवाने से इंकार करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाकरः–

यह घोषित किया जाये कि वादी वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 0.11

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हैक्टेयर में से उत्तरी दिशा की भूमि रकबा 0.0337 हैक्टेयर स्थित ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का काबिज खातेदार है तथा जो इन्द्राज प्रतिवादीगण संख्या एक, दो व तीन के नाम दर्ज कर दिया गया है वह गलत व अवैध है तथा वादी के अधिकारो के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। यह भी घोषित किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी रामचन्द्र पुत्र सेडू का देहान्त होने पर उसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या दो व तीन के नाम विरासत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित होने पर कोई हित व अधिकार प्रतिवादीगण संख्या दो व तीन को प्राप्त नही होते है। हर्जा खर्चा वाद वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। उपरोक्त अनुतोष के साथ अथवा उसके अलावा जिस किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का वादी अधिकारी हो वह भी वादी को दिलाया जावें।

वादी की ओर से पेश वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पंवालिया ने दिनांक 01.03.2012 को वकालतनामा पेश किया। दिनांक 29.5.2014 को प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 खारिज किया गया। दिनाकं 02.02.2017 को वकी प्रतिवादी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वादी सुनी गई। बहस वादी अधिवक्ता, पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देश दिये जाते है कि वादी की क्रय–शुदा जमीन के विक्रय–पत्र का परीक्षण कर वर्तमान खातेदारों से 0.0337 हैक्टेयर खसरा नम्बर 461 रकबा 0.11 में रमेश चन्द डूक्या के विक्रय पत्र अमल करे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:54 IST
Reason: SelfAttested